

स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में प्रवेश के नियम

1. राजस्थान के किसी विश्वविद्यालय से अर्हकारी परीक्षा उत्तीर्ण करने पर
(अ) – अर्हकारी परीक्षा में न्यूनतम 48 प्रतिशत प्राप्तांक हों
अथवा
(ब) – आवेदित विषय में न्यूनतम 55 प्रतिशत प्राप्तांक हों
2. राजस्थान के बाहर के विश्वविद्यालय से अर्हकारी परीक्षा उत्तीर्ण करने पर अर्हकारी परीक्षा में न्यूनतम 60 प्रतिशत प्राप्तांक हों।
3. स्थान रिक्त रहने पर प्रवेश हेतु महिला अभ्यर्थियों तथा राजस्थान के बाहर के विश्वविद्यालय से अर्हकारी परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले अभ्यर्थियों को न्यूनतम प्राप्तांक प्रतिशत में 5 प्रतिशत की छूट दी जाएगी।
4. किसी भी अभ्यर्थी को राजकीय महाविद्यालय में अर्हकारी स्नातक परीक्षा के बाद स्नातकोत्तर पूर्वार्द्ध में नियमित प्रवेश का अवसर दो बार (दो स्नातकोत्तर विषय अथवा एक स्नातकोत्तर विषय एवं विधि स्नातक/स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम या स्नातकोत्तर डिप्लोमा) से अधिक नहीं दिया जाएगा।
5. पूर्वार्द्ध में प्रवेश के लिए अंतराल से संबंधित कोई प्रतिबंध नहीं होगा।
6. ऑनर्स स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण अभ्यर्थी के प्राप्तांक प्रतिशत में 5 प्रतिशत अंकों की वृद्धि कर योग्यता सूची तैयार की जायेगी।
(अ) – यह लाभ उन अभ्यर्थियों को देय नहीं होगा जिन्हें पास कोर्स में उच्च प्रतिशत के कारण ऑनर्स की उपाधि दी गई हो।
(ब) – सहायक (Subsidiary) विषय में प्रवेश लेने पर भी यह लाभ देय नहीं होगा।
7. यदि किसी अभ्यर्थी के अंक सुधार की परीक्षा के बाद अंकों में वृद्धि होती है तो उसकी योग्यता के निर्धारण के लिए बड़े हुए अंक ही विचारणीय होंगे।
8. पूरक परीक्षा योग्य घोषित अभ्यर्थियों को पूरक परीक्षा के विषयों को छोड़कर अन्य विषयों की स्नातकोत्तर पूर्वार्द्ध में पात्रता के अनुसार अन्तरिम प्रवेश दिया जा सकेगा।
9. अर्हकारी परीक्षा में पूरक परीक्षा के योग्य घोषित अभ्यर्थी की पात्रता एवं वरीयता निर्धारण के लिये पूरक परीक्षा के विषय/पेपर में अभ्यर्थी के प्राप्तांकों के स्थान पर न्यूनतम उत्तीर्णांक जोड़े जायेंगे।
10. पूरक परीक्षा में अनुत्तीर्ण होने पर नियमित विद्यार्थी के रूप में अन्तरिम प्रवेश स्वतः निरस्त हो जायेगा तथा उसे कोई शुल्क नहीं लौटाया जायेगा।
11. ऑनलाइन प्रवेश आवेदन की अंतिम तिथि 10 अगस्त, 2023 है।
12. अधिक जानकारी हेतु महाविद्यालय कार्यालय में संपर्क करें।